भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4226
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वंचित क्षेत्रों में रोग निवारण कार्यक्रम

4226. श्री ससिकांत सेंतिल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वंचित क्षेत्रों में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसी एस) को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने सहित क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) सीओटीपीए अधिनियम में संशोधन सहित तंबाकू और शराब नियंत्रण उपायों को लागू करने में प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
(घ) मोटापे की बढ़ती दर से निपटने और विशेष रूप से इनकी अधिकता वाले क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उचित स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के लिए रेफरल और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 372 जिला डे केयर सेंटर, 233 कार्डिक केयर यूनिट और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच सेवा प्रदायगी का अभिन्न अंग है।

इसके अलावा, एनसीडी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने संबंधी पहलों में एनसीडी से संबंधित स्वास्थ्य दिवस मनाना, निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एनसीडी के लिए जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार प्रदान की जाती है।

समुदाय में, एनसीडी के बारे में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कर्मी) जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आशा कर्मी व्यक्तियों और परिवारों को पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक कार्यकलाप और तंबाकू और शराब से परहेज सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में शिक्षित करती हैं। आशा कर्मी नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग के माध्यम से शुरुआती पहचान के महत्व पर जोर देती हैं, जिससे घर के दौरे, समूह बैठकों और स्वास्थ्य अभियानों में भागीदारी द्वारा समय पर कार्यकलाप संभव हो पाता है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सस्ती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर उपलब्ध कराई गई मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बहिरंग सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली इन-पेशेंट सुविधा का प्रावधान है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक पदार्थ उपयोग विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 15,95,000 से अधिक

कॉलों का समाधान किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की गई है।

तम्बाकू नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन में प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

i. तंबाकू नियंत्रण कानून "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003" (कोटपा 2003) और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम 2019 (पीईसीए 2019) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित संचार और उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई करना।
ii. टीवी और फिल्म नियम, 2012 को ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों तक विस्तारित करना और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) [कोटपा संशोधन नियम 2023]।
iii. वर्ष 2023 में 60 दिवसीय तम्बाकू मुक्त युवा अभियान शुरू किया गया। इस वर्ष भी, युवाओं को तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए विस्तारित कार्यनीतियों और सोशल मीडिया जुड़ाव पर अधिक ध्यान देने के साथ 60 दिवसीय तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 शुरू किया गया।
iv. आज की तारीख तक, 43,793 शैक्षणिक संस्थान तम्बाकू मुक्त हो चुके हैं।
v. देश भर में स्थापित क्विटलाइन केंद्रों और तम्बाकू उन्मूलन केंद्रों के माध्यम से 7,62,147 व्यक्तियों को परामर्श सेवाएँ प्राप्त हुई हैं।
vi. तीन महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (क) स्वास्थ्य कार्यकर्ता मार्गदर्शिका, (ख) गाँवों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए एसओपी और (ग) तम्बाकू नियंत्रण कानून 2024 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तकों के लिए दिशा-निर्देश भी इस वर्ष के दौरान शुरू किए गए।
vii. इस कार्यक्रम के तहत कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू मुक्त करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। ये विनियमन स्कूल कैंटीनों/मेस परिसरों/छात्रावास रसोईघरों में अथवा स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर स्कूली बच्चों को संतृप्त वसा अथवा ट्रांसफैट अथवा अतिरिक्त शुगर अथवा सोडियम की अधिक मात्रा वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं तथा इन क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। इसके अलावा, इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि स्कूल परिसर अथवा कैम्पस में बच्चों को खाद्य पदार्थों का विपणन करते समय खाद्य

व्यवसाय संचालक बच्चों के लिए खेल, स्कूल और अन्य आयोजनों के लिए प्रायोजन का उपयोग केवल ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए करेंगे जिनमें संतृप्त वसा अथवा ट्रांस-वसा या अतिरिक्त शुगर अथवा सोडियम की मात्रा अधिक न हो।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (मादक पेय) विनियम, 2018 को भी अधिसूचित किया है और 'मादक पेय पदार्थों के लिए विशिष्ट लेबलिंग आवश्यकताओं' को अनिवार्य किया है, उल्लिखित वैधानिक चेतावनी को बेचे जा रहे शराब उत्पादों के लेबल पर अनिवार्य रूप से मुद्रित किया जाना है।

एफएसएसएआई अपनी "ईट राइट इंडिया" पहल के माध्यम से नागरिकों के बीच खान-पान की स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए देश भर में नियमित आधार पर जागरूकता शिविर आयोजित करता है। अब तक 531 "ईट राइट इंडिया" शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इस पहल के एक भाग के रूप में, 'आज से थोड़ा कम' नामक राष्ट्रव्यापी मीडिया अभियान और लघु वीडियो (12 क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग के साथ) की एक श्रृंखला के माध्यम से वसा, नमक और शुगर में उच्च खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

एफएसएसएआई ने स्वास्थ्यवर्धक आहार विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया अभियान "रेसिपी रविवार" भी शुरू किया है। इसके अलावा, एफएसएसएआई द्वारा देश के नागरिकों में वसा, नमक और शुगर का उपभोग कम करने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी चुनौतियां भी आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन (नेटप्रोफैन) भी स्वस्थ खान-पान की आदतों के बारे में जागरूकता के लिए गहन अभियान चला रहा है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (जैसे रोग, कमी, दोष और विकासात्मक देरी) के लिए जांच की जाती है ताकि बाल जीवन दर में सुधार हो सके। आरबीएसके के तहत जांचे गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित किए गए हैं।

स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (एसएच एंड डब्ल्यूपी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देकर उनकी वृद्धि, विकास और शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देना है। प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षकों की पहचान की जाती है और उन्हें भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य सहित 11 विषयगत क्षेत्रों पर 'हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर' के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

****